कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

प्रकीर्ण आदेश संख्या –49 / 2025 दिनांक: 29/04/2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) एवं 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला मुख्यालय, उत्तरकाशी में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में पूर्व में पारित प्रकीर्ण आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुये थाना हर्षिल से सम्बन्धित समस्त दाण्डिक मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी को होगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.05.2025 से प्रभावी होगा।

29.04.25

(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उत्तरकाशी।

पत्रांक 43 /तद्दिनांक।- 29/4/2025

प्रतिलिपि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महोदय, उत्तरकाशी को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. न्यायालय, सिविल जज(सी0डि0), उत्तरकाशी।
2. न्यायालय, सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
3. न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. पुलिस अधीक्षक, उत्तरकाशी।
6. ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, उत्तरकाशी।
7. बार संघ, उत्तरकाशी, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. कार्यालय आदेश पंजिका।
9. न्यायालय नोटिस बोर्ड।
10. न्यायिक सेवा केन्द्र, जिला न्यायालय परिसर, उत्तरकाशी।

29.04.25

(अभय सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तरकाशी।

Sem
29.4.2025